न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:—57 / 2022 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:— 2022 / 92

उनवान

1. रूपसिंह पुत्र नानग्या, जाति मीना निवासी सरसाली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

....अपीलांट।

बनाम

1. नानगा पुत्र जौहरया
2. रमेश पुत्र नानगा
3. कमलेश पुत्र नानगा
4. कैलाश पुत्र नानगा

} समस्त जातियान मीना, निवासीयान सरसाली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पिपलाई जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, संपति एस बी आई शाखा बामनवास।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
8. चतर बाई पत्नी रामसहाय पुत्री नानगा जाति मीना निवासी सरसाली हाल बाई पास आगरा रोड, सिविल लाईन दौसा राजस्थान।
9. रूकमणी पत्नी गिर्राज पुत्री नानगा, जाति मीना निवासी खिरखिडी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
10. विमला पत्नी रमेशचंद पुत्री नानगा जाति मीना निवासी कुआ गांव तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
11. कमला पत्नी दिनेश पुत्री नानगा जाति मीना निवासी कुआ गांव तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस।

उपस्थित:—

1. श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 10.04.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 110/2017 बउनवान रूपसिंह बनाम नानगा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 644, 645, 1050/646, 680, 678, 679, 663, 664, 668 कुल किता 9 कुल रकबा 2.65 है0 ग्राम सरसाली में स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की पैतृक भूमि है तथा खसरा नंबर 213 रकबा 0.63 है0, खसरा नंबर 264 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम सीतापुरा मे स्थित है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 04 ने आपसी सहयोग से क्रय किया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्वर्गीय श्री जोहरया के वारिसान है जोहरया की खातेदारी का नामांतरकण विरासत रामकिशोर, नानग्या पिसरान जौहरया का अंकन 1/2, 1/2 राजस्व रिकार्ड मे हो गया है बाद मे वर्णित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद मे वर्णित क्रय की गयी भूमि जो कि संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की है, को विभाजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। तदपुरान्त बाद जवाब प्रतिवादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही उपरांत तनकी कायम कर, साक्ष्य वादी ली जाकर, बहस सुनी जाकर उपखण्ड अधिकारी बामनवास ने दिनांक 12.07.2022 को वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्यो की विवेचना किये बिना तथा पत्रावली पर आयी मौखिक साक्ष्य कि विवेचना कर उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। यह कि प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व पत्रावली पर आये जवाब के उपरांत कुल 6 तनकीयात कायम की गयी थी तथा तहत न्यायालय ने पत्रावली पर स्थित कायमी तनकी के उपरांत तनकी वाद अपना कोई निर्णय नही दिया ना ही संपूर्ण तनकीयो पर अपना मत पारित किया है जिस से स्पष्ट है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मातहत अदालत ने निर्णय करते समय सिविल प्रकिया संहिता ऑर्डर–20–रूल–5 की पालना नही की है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णयो में स्पष्ट निर्धारण किया गया है कि विचारण न्यायालय के दावे मे अंकित तथ्यों व जवाब दावे पर लिये गये उज्रो पर बनायी गयी तनकीयो के मुताबिक प्रत्येक तनकी पर अपना मत पारित करना चाहिये। जबकि मातहत अदालत ने विधि के विपरीत जाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 12.07.22 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के यहां गिरवी रखकर लोन उठा लिया और पैसे को स्वयं ही खूर्द–बूर्द कर दिया तथा वाद मे वर्णित आराजी को अन्य प्रकार से खूर्द बूर्द करना चाहता है जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 को कोई हक नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 12.07.22 को निरस्त फरमाया जावें।
6. अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार ग्राम सीतारामपुर पंचायत समिति डाबर तहसील बामनवास में खसरा नंबर 213 रकबा 0.63 है0 खसरा नंबर 214 रकबा 0.46 है0 नानगा पुत्र जौहरया हिस्सा 1/2 रामकिशोर पुत्र जौहरया हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सरसाली पंचायत समिति डाबर तहसील बामनवास में खसरा नंबर 659 रकबा 0.17 है0 खसरा नंबर 660 रकबा 0.36 है0 खसरा नंबर 661 रकबा 0.67 है0 खसरा नंबर 665 रकबा 0.34 है0 नानगा पुत्र जौहरया के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2070–2073 ग्राम सरसाली पटवार हल्का डाबर के अनुसार खसरा नंबर 644, 645, 646, 647, 663, 664, 666, 667, 668, 677, 678, 679, 680 कुल किता 13 कुल रकबा 5.30 है0 मे नानगा पुत्र जौहरया हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौंदा, रामकिशोर पुत्र जौहरया हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रथमः— मातहत अदालत की आदेशिका में दिनांक 05.12.2019 की तनकीयात कायम करने के आदेश पारित किए हुए है परन्तु मातहत अदालत ने अपने निर्णय में बिना तनकीयात कायम किए निर्णय पारित किया है। जो विधि विपरीत है।

द्वितीयः— मातहत अदालत ने निर्णय में उल्लेख किया है कि वादी ने अपने बहिनों को पक्षकार नही बनाया जबकि स्वयं मातहत अदालत ने ही निर्णय व डिक्री के शीर्षक में वादी की चारों बहिनों को पक्षकार मानते हुए प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 मानकर नाम अंकित किये हुए है। परन्तु वादी के वाद पत्र को खारिज किए जाने का एक आधार यह भी अंकित किया है जो परस्पर विरोधाभासी है। इस कारण से भी निर्णय अपास्त योग्य है। **तृतीयः**— मातहत अदालत द्वारा उभपक्षकारों को बिना उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए तथा सिविल प्रक्रिया संहिता ऑर्डर–20–रूल–5 की अनुपालना किए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के मुकदमा नंबर 110/2017 बउनवान रूपसिंह बनाम नानगा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए, तनकीयात कायम करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 11.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष उपस्थित होवें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 10.04..2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner